

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड, सीकर-332001

ई-मेल ult.sikar@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2024/

दिनांक:- 04.11.2024

कार्यालय आदेश

न्यास द्वारा निजी खातेदारी में अनुमोदित आवासीय योजना "रामकोरी रेजीडेन्सी फेज-2" राजस्व ग्राम कुडली तहसील जिला सीकर के खसरा नं. 1375/1317 रकबा 0.1793 है. व 1377/1369 रकबा 0.0372 है. अर्थात कुल रकबा 2165.00 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्धानुसार) में राजस्थान टाउनशिप पालिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में रहन रखे गये 12.5 प्रतिशत भू-खण्ड संख्या 3 को अपेक्षित विकास कार्य पूर्ण करने, चार्टर्ड इंजिनियर की तकनीकी रिपोर्ट उपरान्त न्यास स्तरीय कमेटी की अभिशंषा तथा सीवरेज एवं ड्रेनेज की राशि जमा कराये जाने पर एतद्वारा उपरोक्त रहन रखे गये भू-खण्डों को रहनमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्त के अधधीन प्रदान की जाती हैं।

शर्त:-

1. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the alltees).
2. बोरिंग/ ट्यूबवेल/ पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
3. योजना में विद्युतिकरण का कार्य State Electricity Agency or National Building code के प्रावधानानुसार ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

(जगदीश प्रसाद गौड़ RAS)

सचिव

नगर विकास न्यास, सीकर

क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2024/

प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 04.11.2024

1. संबंधित विकासकर्ता।
2. उप नगर नियोजक/कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय हाजा।

(जगदीश प्रसाद गौड़ RAS)

सचिव

नगर विकास न्यास, सीकर

RajKaj Ref
11549760



Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour

Designation : Secretary

Date: 2024.11.04 17:01:35 IST

Reason: Approved